

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
क्रमांक स्था./एच.ओ/स्थाना/अटैच/प्र.मु.प्र./2020/ 68315-19

दिनांक 12/11/2021

आदेश

उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज जयपुर के आदेश संख्या 425-28 दिनांक 23.04.2019 के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह छाबड़ी, मुख्य प्रहरी नं.1462 का केन्द्रीय कारागृह, अलवर से केन्द्रीय कारागृह, जयपुर पर किया गया अटैचमेन्ट तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है। मुख्य प्रहरी अपनी उपस्थिति मूल पदस्थापन केन्द्रीय कारागृह, अलवर पर प्रस्तुत करेंगे।

अलोक कुमार वशिष्ठ
(आलोक कुमार वशिष्ठ)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर
OC# 12/11/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि अटैचमेन्ट कार्मिक को अविलम्ब मूल पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त करे तथा कार्मिक की मूल पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति रिपोर्ट अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवाये:-

1. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज जयपुर।
2. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, अलवर।
3. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को वास्ते अपलोड हेतु।
4. संबंधित कर्मचारी को पालनार्थ।
5. रक्षक पत्रावली।

अलोक कुमार वशिष्ठ
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर
OC# 12/11/2021